फरीदाबाद
मजदूर समाचार

राहें तलाशने-बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर 216 | जून 2006

कहत कबीर

चमक-दमक आतंकवाद का एक चेहरा है। चमक-दमक का उत्पादन तन-मन को लहुलुहान करता है। चमक-दमक का उपभोग मन-विवेक को गिरवी रखना और चलती-फिरती लाश बनना लिये है।

मजदूरों को दिखाना ही नहीं
गुत्थी उत्पादन छिपाने की..... चोरी में चोरी

● स्थाई, कैजुअल, ठेकेदार के जरिये रखे, पीस रेट पर — फैक्ट्रियों में काम करते मजदूरों के खाने हैं। भारत में हाल के वर्षों में स्थाई मजदूरों का प्रतिशत बहुत तेजी से सिकुड़ा है और अब 5 से 20 प्रतिशत के दायरे में सिमट रहा है। कैजुअल वरकरों और ठेकेदारों के जरिये रखे जाते वरकरों का प्रतिशत बहुत तेजी से बढा है और अब 80 से 95 प्रतिशत के दायरे में फैल रहा है।

● इधर रिहायशी क्षेत्रों में वर्कशॉपों की भरमार हो गई है। उत्पादन कार्य का एक उल्लेखनीय हिस्सा फैक्ट्रियों से निकल कर वर्कशॉपों में पहुँच गया है। दो-चार से पचास-साठ मजदूर वर्कशॉपों में काम करते हैं।

— वर्कशॉपों में काम करते 95-98 प्रतिशत मजदूरों का दस्तावेजों में कहीं नाम नहीं होता।

— कई ठेकेदार पंजीकृत नहीं होते और उनके जरिये फैक्ट्रियों में रखे जाते वरकरों में से किसी को भी दस्तावेजों में नहीं दिखाते।

— पंजीकृत ठेकेदारों के जरिये रखे जाते वरकरों में से दस प्रतिशत को ही दस्तावेजों में दिखाते हैं।

— कम्पनी द्वारा स्वयं भर्ती किये जाते कैजुअल वरकरों में से भी दस-बीस प्रतिशत को ही दस्तावेजों में दिखाना सामान्य स्थिति बनती जा रही है।

(फैक्ट्रियों में 12-12 घण्टे की शिफ्ट सामान्य हो रही हैं, एक तिहाई मजदूर/उत्पादन तो इससे ही अवैध खाते में हो जाते हैं — छिपाये जाते हैं, दिखाये नहीं जाते।)

सफेद अन्धेरा छाया है। कह सकते हैं कि भारत में फैक्ट्री उत्पादन कार्य को करते 70-75 प्रतिशत मजदूर आज कम्पनियों व सरकार के अनुसार हैं ही नहीं! (और भारत सरकार का प्रचारतन्त्र बंगलादेश में मजदूरों की दुर्दशा का रोना रोता है।)

●भारत में कोटा-परमिट-लाइसैन्स प्रणाली के दबदबे के दौर में उत्पादन बढा-चढा कर दिखा कर ज्यादा कोटा उठाना और मण्डी में ऊँचे भाव पर बेच कर पैसे बनाना मन्त्री-नेता-कम्पनी संचालक-सरकारी अधिकारी गठजोड़ का एक पाया था। कोटा का माल ऊँचे दामों पर खरीद कर वास्तव में उत्पादन कार्य में लगे कम्पनी संचालक उत्पादन को छिपा कर टैक्सों वाली मोटी रकम से "क्षतिपूर्ति" करते थे।

● उत्पादन के एक हिस्से को दस्तावेजों में नहीं दिखा कर उत्पाद शुल्क आदि टैक्सों की चोरी मैनेजमेन्टों की एक सामान्य गतिविधि रही है। कम्पनी और सरकार को लगाये जाते चूने में मैनेजमेन्टें तथा सरकारी अधिकारी हिस्सेदार रहते हैं।

● इधर छिपाये जाते उत्पादन की मात्रा नित नई ऊँचाइयों को तय कर रही है। जो मजदूर दस्तावेजों में दिखाये जाते हैं उनसे ओवर टाइम में करवाया जाता 95-98 प्रतिशत उत्पादन भी छिपाया जा रहा है — कानून अनुसार तीन महीने में 50 घण्टे से ज्यादा ओवर टाइम काम नहीं जबकि एक महीने में ही 150 घण्टे ओवर टाइम काम करवाना सामान्य होता जा रहा है। जो 70-75 प्रतिशत मजदूर दिखाये ही नहीं जाते उनका उत्पादन तो छिपाया ही छिपाया जा रहा है.... भारत सरकार के दस्तावेजों से जैसे मजदूरों की सँख्या का अन्दाजा लगाना नादानी है वैसे ही कुल फैक्ट्री उत्पादन को सरकारी दस्तावेजों से आँकना आज यहाँ भारी भूल लिये है।

● *कम्पनियों की बैलेन्स शीटों की थोड़ी चीर-फाड़ करने पर औसतन :*

— उत्पादन का 60-70 प्रतिशत सरकारें विभिन्न प्रकार के टैक्सों द्वारा ले लेती हैं। लाखों सैनिक, एटम बम.....

— उत्पादन का 15-20 प्रतिशत बैंक-वित्त संस्थायें ब्याज में ले लेती हैं। आज कम्पनियों में लगे पैसों का 80-85 प्रतिशत कर्ज के रूप में होता है।

— उत्पादन का 10-15 प्रतिशत शेयरहोल्डरों को..... अगर कम्पनी चल-बढ रही है।

— उत्पादन का 8-10 प्रतिशत कम्पनी के विस्तार में.....

— सम्पूर्ण उत्पादन मजदूर करते हैं और मजदूरों की तनखा उत्पादन का मात्र एक-दो प्रतिशत होती है।

यह उत्पादन की वह हिस्सा-पत्ती है जो दस्तावेजों में दिखाई जाती है। आज वास्तविक उत्पादन के बड़े/उल्लेखनीय हिस्से को छिपाये जाने के दृष्टिगत कम्पनियों की बैलेन्स शीटें दिखाती कम हैं, छिपाती अधिक हैं।

● मजदूर दस्तावेजों में दिखाये जाते हों अथवा नहीं दिखाये जाते हों, **असली चोरी मजदूरों की हो रही है।** भाप-कोयले वाली मशीनों के दौर में मजदूर का शोषण 100 प्रतिशत के आसपास था — 5 घण्टा काम द्वारा तनखा के बराबर नया मूल्य पैदा करना और 5 घण्टा अतिरिक्त काम द्वारा अतिरिक्त मूल्य पैदा करना जिसमें कारखानेदार, व्यापारी, सरकार हिस्सा बाँटते थे। आज मजदूर का शोषण तीन हजार प्रतिशत के दायरे में है — करीब 9 मिनट के काम द्वारा मजदूर तनखा के बराबर नया मूल्य पैदा करते हैं और बाकी समय के काम द्वारा अतिरिक्त मूल्य पैदा करते हैं जिसमें सरकार-बैंक-मैनेजमेन्ट (वेतन व भत्ते + दो नम्बर में)-नेता व सरकारी अधिकारी (रिश्वत राशि)-कम्पनी हिस्सा बाँटते हैं।

मण्डी-मुद्रा की गतिक्रिया के चलते, मण्डी-मुद्रा के दबदबे के चलते उपरोक्त की अनिवार्यता की चर्चा आगे करेंगे। (जारी)

उदाहरण

प्रेसलाइन मजदूर : "प्लॉट 262-डी सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में हम 30 स्थाई मजदूरों ने वेतन वृद्धि, वर्दी आदि के लिये कोई झण्डा नहीं लगाया, हम ने बाहर वाली अथवा अन्दर वाली हड़ताल नहीं की बल्कि उत्पादन पर प्रभाव डालने वाले कदम उठाये। उत्पादन कम हो कर 25-30 प्रतिशत हो गया। इस पर कम्पनी ने 18 जनवरी 06 को हम सब का गेट रोक दिया। श्रम विभाग में शिकायत करने पर कम्पनी ने बहाना बनाया कि फैक्ट्री में निर्माण कार्य चल रहा है और हाजिरी लगेगी। पन्द्रह दिन बाद तीन वर्षीय समझौता— 500 रुपये प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि, जूते-वर्दी-जर्सी-साबुन, वर्ष में 3 दिन का टूर और 5-10 वर्ष की नौकरी पर 1500-3000 रुपये सर्विस अवार्ड। जिन 15 दिन हमें फैक्ट्री से बाहर रखा था उनके पैसे भी दिये। लेकिन कम्पनी ने जो 10 कैजुअल वरकर रखे हैं उन्हें 1800-2000 रुपये ही तनखा देती है और उनकी ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं।"

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद—121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है।)

दर्पण में चेहरा-दर-चेहरा

चेहरे डरावने हैं.... आईना ही नहीं देखें या फिर हालात बदलने के प्रयास करें?

बिड़ला वी एक्स एल मजदूर : " 14/5 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे शुरू होती थी और कहने को साँय 4½ तक थी पर 6½ तक तो सब वरकरों को रोकते ही थे, उसके बाद रात 12½ बजे तक रोकते थे। दूसरी शिफ्ट साँय 7 बजे शुरू होती और छूटने का कोई समय नहीं — अगले रोज सुबह 8 बजे भी वरकर फैक्ट्री से निकलते थे। कार्ड पर कम्पनी महीने में कुछ दिन 8 से 6½ दर्ज कर कुछ ओवर टाइम को दिखाती थी और ओवर टाइम के अधिकतर समय को 'एक्स्ट्रा' में दर्ज कर छिपाती थी। स्थाई और कैजुअल वरकरों को डबल की दर से भुगतान लेकिन ठेकेदार के जरिये रखे वरकरों को सिंगल रेट से। जनवरी माह से किये ओवर टाइम का भुगतान कम्पनी ने मई-आरम्भ तक नहीं किया...... ठेकेदार के जरिये रखे वरकरों को 3-4 मई को निकाल दिया और फिर 8 मई को सब कैजुअल वरकरों को भी निकाल दिया। पेन्ट बनाते 450 वरकरों में से अब फैक्ट्री में 50-60 स्थाई मजदूर ही बचे हैं। नौकरी से निकालते समय 5 महीनों के ओवर टाइम के पैसे और अप्रैल व मई की तनखा नहीं दी — कहा कि 12 मई को ले जाना। हम 12 मई को गये तो मैनेजमेन्ट बोली कि पैसे नहीं हैं, 18 को आना। हमारे साथ निकाली गई 100 महिला मजदूरों में से 75 को कम्पनी ने 11 मई को पैसे दिये।"

डी पी ऑटो वरकर : "प्लॉट 228 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में हम 100 मजदूर 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में काम करते हैं। ओवर टाइम जबरन करवाते हैं और उसका भुगतान सिंगल दर से। हैल्परों की तनखा 1500 रुपये। काम का बोझ बहुत ज्यादा है, भोजन भी ठीक से नहीं करने देते — खाना 15 मिनट में, चाय 5 मिनट में। मार्च की तनखा 20 अप्रैल को दी थी, अप्रैल की आज 9 मई तक नहीं। गाली देते हैं।"

एस्कोर्ट्स मजदूर : " फर्स्ट प्लान्ट में कदम-कदम पर दुभान्त है। स्थाई मजदूर को जिस काम के 8 घण्टे के 500 रुपये देते हैं उसी काम के लिये आई टी आई किये कैजुअल वरकर को 144 रुपये देते हैं। हाथ साफ करने के लिये कम्पनी स्थाई मजदूर को महीने में दो डिब्बी क्रीम और दो बट्टी साबुन देती है जबकि कैजुअल वरकर को क्रीम नहीं, सिर्फ एक बट्टी साबुन। स्थाई मजदूर को टॉनिक, कैजुअल वरकर को नहीं..... और कैन्टीन में तो जैसा चेहरा देखा वैसा ही थप्पड़ लगा दिया वाली बात है। स्थाई मजदूर को 5 रुपये में भरपेट भोजन परन्तु कैजुअल वरकर को 8 रुपये में भी भरपेट खाना नहीं। 'खत्म' कह कर कैजुअल वरकर को रोटी, रायता, सलाद, नींबू मना कर देते हैं जबकि स्थाई मजदूर के लिये बचा कर रखते हैं। कैजुअल को साफ चम्मच 'नहीं बची' कह देते हैं और स्थाई को नीचे से पकड़ा देते हैं..... कैन्टीन में स्थाई व कैजुअल की अलग-अलग पंक्ति लगती हैं — कैजुअल की लाइन में परमानेन्ट आगे जा कर ले लेता है और कैजुअल टुकर-टुकर देखते रहते हैं। फर्स्ट की ट्रैक्टर डिविजन में इस समय 300 से ज्यादा कैजुअल हैं और थर्ड शिफ्ट में उत्पादन कार्य में सिर्फ कैजुअल रहते हैं।

"फार्मट्रैक प्लान्ट में 8-9 ठेकेदारों के जरिये रखे हम 100 वरकरों में हैल्परों को 8 घण्टे के 70 रुपये और कारीगरों को 90 रुपये देते हैं। ओवर टाइम काम के भुगतान में गड़बड़झाला है — 8 घण्टे काम करने के बाद रोकते हैं उस समय का भुगतान सिंगल दर से और रविवार को 8 घण्टे काम का भुगतान डबल रेट से। प्रोविडेन्ट फण्ड में भारी हेराफेरी है।"

सेक्युरिटी गार्ड : " जवाहर कॉलोनी कार्यालय वाली **शिवम् सेक्युरिटी** में 100 के करीब गार्ड काम करते हैं। प्रतिदिन 12 घण्टे और महीने के तीसों दिन ड्युटी के बदले में 2200-2400 रुपये देते हैं। ई.एस.आई. नहीं, पी. एफ. नहीं।"

नूकेम केमिकल मजदूर : "54 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में वर्षों से कुछ नियम-कानूनों को अपने हित में ढीला छोड़े मैनेजमेन्ट इधर कुछ नियमों को सख्ती से लागू कर रही है। छुट्टी से लौटने में थोड़ी देरी पर, आकस्मिक आवश्यकता पर दो दिन छुट्टी कर लेने पर स्थाई मजदूर निलम्बित किये जा रहे हैं। हिन्दुस्तान वायर के नक्शेकदम नूकेम मैनेजमेन्ट 20-25 वर्ष से नौकरी कर रहे मजदूरों की जन्मतिथि आदि की अब जाँच कर रही है। दरअसल नूकेम समूह मण्डी के भँवर में फँसा है। नूकेम मशीन टूल्स में कई महीनों की तनखायें बकाया, कम्पनी की जमीन बेचना, नूकेम केमिकल डिविजन में तनखा देने में देरी, वर्दी में देरी, बोनस में देरी कम्पनी की डगमग स्थिति को दर्शाते हैं। मई में भी कम्पनी ने नोटिस लगाया है: अप्रैल की तनखा 16 से 20 मई के दौरान दी जायेगी।"

राजवंश वरकर : "सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री ओरियन्ट की कॉटेज है — ओरियन्ट पँखों के पुर्जे यहाँ बनते हैं। फैक्ट्री में सुबह 7 से साँय 7 की एक शिफ्ट है — ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। हम 60 मजदूरों में 5-7 ही स्थाई हैं और बाकी में हैल्परों की तनखा 1700 रुपये तथा ऑपरेटरों की 2000-2400 रुपये। ई.एस.आई. व पी.एफ. सिर्फ स्थाई मजदूरों के हैं। पीस रेट वालों के 8 घण्टे में 50-60-70 रुपये पड़ते हैं और जिस दिन वापस करते हैं उस दिन के पैसे नहीं देते।"

सिल्क ग्राफ मजदूर : "प्लॉट 15-ए डी एल एफ इन्डस्ट्रीयल इस्टेट स्थित फैक्ट्री में हैल्पर की तनखा 1800 रुपये है। फैक्ट्री में काम करते 100 के करीब मजदूरों में से आधे से ज्यादा की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं।"

डी एस बोहिन वरकर : "प्लॉट 88 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 1600-1700 और प्रेस ऑपरेटरों की 2300-2400 रुपये है। हम 250 मजदूर 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में काम करते हैं — ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। ई.एस.आई. व पी.एफ. हम में से 100 के ही हैं। फैक्ट्री में मारुति कार के पुर्जे बनते हैं और साहब गाली देते हैं।"

करण ऑटो मजदूर : " 17-सी इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में हम 350 वरकर 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में काम करते हैं। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल दर से। अधिकतर मजदूर 5-6 ठेकेदारों के जरिये रखे गये हैं। हैल्परों की तनखा 1500-1650 रुपये — ड्रिल मशीन चलाने वाले हैल्परों की 1800 रुपये। फैक्ट्री में लोहे तथा अल्युमिनियम का काम होता है और हीरो होण्डा, मारुति, ओमैक्स, स्पीडोमैक्स आदि 30-40 कम्पनियों को रोज 4 बडी व 1-2 छोटी गाड़ी पुर्जे बना कर भेजे जाते हैं।"

मोर्या उद्योग वरकर : " सोहना रोड स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। हैल्परों की तनखा 1800-2000 रुपये और ई.एस.आई. नहीं, पी. एफ. नहीं।"

आरके इन्डस्ट्रीज मजदूर : "प्लॉट 315 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में हम 300 वरकर काम करते हैं। हमारी ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं हैं — दिखाने के लिये कुछ की होंगी। हैल्परों की तनखा 1700-1800 और ऑपरेटरों की 2500-2600 रुपये। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। फैक्ट्री में जे सी बी कम्पनी का काम होता है।"

सी एम आई वरकर : " प्लॉट 71 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में हमें फरवरी, मार्च और अप्रैल की तनखायें आज 18 मई तक नहीं दी हैं।"

महीने में एक बार छापते हैं, 5000 प्रतियाँ फ्री बाँटते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें, अन्यथा भी चर्चाओं के लिए समय निकालें।

दिल्ली... (पेज तीन का शेष)

सफल रहे — पहली मई तक बी-48 के सब स्थाई मजदूरों की नौकरी खत्म। बी-242 और डी-116 में ही कुछ स्थाई मजदूर बचे हैं। कम्पनी को मुरादाबाद ले जाने की बात बकवास थी, कम्पनी ने फरीदाबाद में टारगेट फैशन के नाम से फैक्ट्री शुरू की है और सीनियर स्टाफ के 10 लोगों को वहाँ ले गई है। कम्पनी ने बी-237 की मशीनें बेच दी हैं और बी-48 की मशीनें फरीदाबाद ले जा रही है।"

सरकार और कानून

★ केन्द्र सरकार के कारखाने **इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड**, कोटा (राजस्थान) के मजदूरों के वेतन में 1992 में कुछ वृद्धि की घोषणा की गई। मजदूर रिटायर भी होते गये – 1992 से 2001 तक 2200 मजदूर रिटायर हो चुके थे – पर तनखा वास्तव में बढाई नहीं गई। अक्टूबर 2001 में 2200 रिटायर हो चुके मजदूरों ने वेतन की बकाया राशियों के लिये फैक्ट्री गेट पर धरना आरम्भ किया। मैनेजमेन्ट ने अड़ंगे डाले, धरने की जगह के लिये मजदूरों को अदालत जाना पड़ा। सीटू, एटक, बी एम एस, इन्टक, विश्व हिन्दू परिषद की कर्मचारी परिषद, मजदूर सेना आदि यूनियनों - संस्थाओं के नेता धरना स्थल पर आये और तीन - चार माह में निबटारा करवा देंगे के भाषण दे कर चले गये। राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री को कई बार ज्ञापन दिये – सिवाय आश्वासनों के कुछ नहीं मिला। राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री बदले और कम्पनी के चार चेयरमैन - मैनेजिंग डायरेक्टर बदले.... तार - तार होने पर धरना स्थल के 6 टैन्ट बदले. ... मई 06 में भी वेतन की बकाया राशियों के लिये 1992 से 2001 के दौरान रिटायर हुये मजदूरों का धरना जारी। हाँ, 2002 के बाद रिटायर होते मजदूरों को कुछ राशि दे कर कम्पनी उन से लिखवा रही है कि बकाया वेतन के लिये भविष्य में कोई माँग नहीं करेंगे।

(कोटा से तुलसीराम ने जानकारी भेजी)

★ उत्तर प्रदेश सरकार ने 1975 में **झाँसी डिविजन जल संस्थान** की स्थापना की थी। आरम्भ से ही यह भ्रष्ट अधिकारियों का स्वर्ग बना हुआ है। जल संस्थान की कालपी इकाई का उदाहरण लें : पानी के सैंकड़ों फर्जी कनेक्शन दे कर अधिकारी हर माह अवैध वसूली करते हैं; पानी में मिलाने हेतु आने वाला ब्लीचिंग पाउडर स्थानीय कागज फैक्ट्रियों को बेचा जाता है; सरकारी मकान में रहना और आवास भत्ता भी लेना; वर्षों से ड्युटी नहीं करने वालों को वेतन; ड्युटी करने वालों को परेशान करना। एक प्रतिनिधिमण्डल द्वारा मुख्य मन्त्री को शिकायत पर उनके विशेष कार्याधिकारी ने अप्रैल 05 में झाँसी मण्डल आयुक्त को प्राथमिकता के आधार पर जाँच व कार्यवाही के निर्देश दिये। आयुक्त ने जिलाधिकारी जालौन को जाँच सौंप दी। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी उरई को जाँच सौंप दी जहाँ साल - भर बाद भी यह लम्बित है। **(कालपी से राजू ने जानकारी भेजी)**

★ मध्य प्रदेश सरकार का 1958 का कानून 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नौकरी पर रखने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाता है जबकि 1986 का केन्द्र सरकार का कानून "खतरनाक न हों" में नियुक्ति की अनुमति देता है। दिसम्बर 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रमिकों के बारे में निर्देश जारी किये। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने सरकार द्वारा 1997 में करवाये सर्वेक्षण के बारे में कहा है : अप्रैल 97 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में 11 हजार 820 बाल श्रमिक हैं जबकि 1991 की जनगणना अनुसार यह सँख्या 13 लाख 53 हजार थी. ... केन्द्र सरकार ने नवम्बर 99 में पुनः सर्वेक्षण के आदेश दिये और राज्य सरकार ने पैसे नहीं हैं कह कर जनवरी 2006 तक सर्वेक्षण नहीं करवाया था। इस दौरान मध्य प्रदेश में काँग्रेस और भाजपा की सरकारें रही हैं। और, 1997 में जो सर्वेक्षण करवाया था उसके अनुसार खतरनाक काम करवाने वाले नियोक्ताओं से उच्चतम न्यायालय के निर्देश अनुसार क्षतिपूर्ति के रूप में 17 करोड़ 65 लाख रुपये (20 हजार प्रति बच्चे) एकत्र कर बाल श्रमिकों के लिये निधि बनानी थी – 17 करोड़ 65 लाख में से 3 लाख 75 हजार रुपये ही वसूल किये हैं। वैसे, भारत सरकार ने वर्ष 2005 तक बाल श्रमिकों की समस्या से मुक्ति पाने.. **(रीवा से के.सी. ने जानकारी भेजी)**

★ 7 दिसम्बर 05 को पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में चार वर्ष से कार्यरत एक वस्त्र निर्माण इकाई, ग्रोवर सन्स अपारेल्स की तीसरी मंजिल में आग लगने से 12 स्त्री व पुरुष मजदूर जल कर मर गये। कानून अनुसार यह फैक्ट्री गैरकानूनी है क्योंकि यह रिहायशी क्षेत्र में है। और, दिल्ली सरकार के न्यायालय में वर्षों पूर्व दिये हलफनामे अनुसार कई अन्य रिहायशी क्षेत्रों की ही तरह रिहायशी क्षेत्र विश्वास नगर के 70 प्रतिशत क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ हैं.... दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग, बिजली विभाग, कर विभाग, अग्निशमन विभाग के अधिकारी और विधायक - सांसद - मन्त्री गैरकानूनी गतिविधियों से चाँदी कूटते हैं। ग्रोवर सन्स की इस फैक्ट्री में 1948 के फैक्ट्री एक्ट का मैनेजमेन्ट पालन नहीं कर रही थी। मजदूरों को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं दिये जाने, प्रतिदिन 10 - 12 घण्टे काम करवाये जाने, अधिकतर मजदूरों को दस्तावेजों में दिखाना ही नहीं, सुरक्षा के निर्देशों का उल्लंघन के बारे में दिल्ली सरकार के श्रम विभाग के अधिकारी जानते हुये अनजान बने थे। यही स्थिति केन्द्र सरकार के भविष्य निधि संगठन और ई.एस.आई. कारपोरेशन में। दिल्ली में अधिकृत और अनधिकृत क्षेत्रों में कानूनी तथा गैरकानूनी फैक्ट्रियों में काम करते अधिकतर मजदूरों (80 - 85 प्रतिशत) को दस्तावेजों में दिखाते ही नहीं। फुटकर मजदूरों अथवा निर्माण क्षेत्र के मजदूरों की ही बात नहीं है यह, दिल्ली में फैक्ट्रियों में काम करते अधिकांश मजदूर भी केन्द्र सरकार व दिल्ली सरकार के अनुसार हैं ही नहीं!

(पी.यू.डी.आर., दिल्ली की रिपोर्ट से जानकारी ली है)

दिल्ली... (पेज चार का शेष)

लिये वस्त्र तैयार किये जाते थे। प्रत्येक फैक्ट्री के गेट पर एल एम सागर एक्सपोर्ट का नाम तथा अन्दर कागजों में जे के टैक्सटाइल्स, के के एपारेल्स, मनीष एपारेल्स, डी बी गारमेन्ट्स, सोनू इन्टरप्राइजेज, एम एम एपारेल्स, एच वी इन्टरप्राइजेज आदि नाम थे। जनरल मैनेजर एक था, परसनल मैनेजर भी एक। मजदूरों को स्थाई नहीं होने देने के लिये कम्पनी का एक हथकण्डा यह भी था कि मजदूर का नाम कभी इसके खाते में डाल दिया और कभी उसके खाते में डाल दिया। नाम बदलने के खेल में मजदूरों की कई - कई महीनों की भविष्य निधि राशि का गबन भी किया जाता था – मजदूर काम करते रहते, तनखा में से पी.एफ. काटी जाती, पैसे भविष्य निधि कार्यालय में जमा नहीं करवाये जाते.... दस्तावेजों के अनुसार यह मजदूर उस दौरान फैक्ट्री में होते ही नहीं थे! ठेकेदारों के जरिये भी वरकर रखे जाते थे। फिर भी मजदूरों ने विभिन्न प्रकार के ऐसे दबाव बनाये कि एल एम सागर एक्सपोर्ट की फैक्ट्रियों में काम करते 6000 मजदूरों में से कम्पनी को 1500 को स्थाई करना पड़ा। कहने को शिफ्ट 8 घण्टे की पर मजदूरों को 10½, 12, 16½ घण्टे प्रतिदिन काम करना पड़ता था। ओवर टाइम को कम्पनी दस्तावेजों में दिखाती नहीं थी और भुगतान सिंगल दर से करती थी। कैजुअल वरकरों और ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों में से अधिकतर को भी कम्पनी दस्तावेजों में दिखाती ही नहीं थी – इनकी ई.एस.आई. नहीं, पी. एफ. नहीं। ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता था। तय पीस रेट कम कर देना, रिजेक्शन के नाम पर वेतन में कटौती और यूँ भी तनखा में हेराफेरी सामान्य बातें थी। गुण्डागर्दी तो सब फैक्ट्रियों में आमतौर पर होती ही है। पीने के पानी का उचित प्रबन्ध नहीं। इन सब के बावजूद कम्पनी लड़खड़ाने लगी.... चार वर्ष से तनखा देने में देरी। मजदूरों का विरोध बढा। जग सागर की जगह कैलाश अग्रवाल और अमित अग्रवाल कम्पनी के संचालक बने। नये डायरेक्टरों ने 1500 स्थाई मजदूरों को नौकरी से निकालने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। गुण्डागर्दी के जरिये अकेले - दुकेले कर 250 स्थाई मजदूरों को नौकरी से निकाला। फिर बी - 237 में यूनियन के झण्डे - तम्बू और मैनेजमेन्ट द्वारा तालाबन्दी की जुगलबन्दी में फाँस कर एक झटके में बड़ी सँख्या में स्थाई मजदूरों को इस्तीफे देने को मजबूर किया। और फिर जनवरी 06 में अधिकतर कैजुअल व ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को निकालने के बाद फरवरी माह में मैनेजमेन्ट ने बी - 48 को आक्रमण के लिये चुना। फिनिशिंग विभाग के 100 मजदूरों का 13 फरवरी को गेट रोका। दूसरी यूनियन और श्रम विभाग के साथ कम्पनी ने करतब किये – झटके में 100 के इस्तीफे ले लिये गये। फिर अप्रैल में कम्पनी ने बी - 48 के सिलाई कारीगरों को निशाने पर रखा – 12 अप्रैल को 90 का ले - ऑफ लगाया, 16 अप्रैल को 50 और का ले - ऑफ, 18 अप्रैल को बाकी बचे 70 सिलाई कारीगरों का भी ले - ऑफ। यूनियन के फेर में स्वयं कदम उठाने से मजदूर बचे और फिर नेता बिक गया कह कर विलाप कर लिया। मजदूरों के खुद के कदमों के अभाव में कम्पनी, यूनियन, श्रम विभाग फन्दा कसने में **(बाकी पेज दो पर)**

-दरारें- दरारें- दरारें-

मण्डी में माल बने मनुष्यों का अन्य मालों की ही तरह संसार में इधर से उधर धकेले जाना वर्तमान का हावी, बहुत हावी पहलू है। मजबूरी में हम कहाँ- कहाँ जाते हैं और क्या- क्या करते हैं। पुर्जेनुमा जोड़ों ने सम्पूर्ण पृथ्वी को अपनी जकड़ में ले रखा है।

लेकिन पुर्जों की तरह की बजाय मनुष्यों के रूप में जोड़- तालमेल के प्रयास भी वर्तमान में उल्लेखनीय स्तर पर हो रहे हैं। धकेले- खदेड़े जाते लोग तो नई जगहों पर भी ऐसी कोशिशें जारी रखते ही हैं, अनुभवों व विचारों के आदान- प्रदानों और मानवीय जोड़ों- तालमेलों के लिये बहुत कम तनखा में काम करने के लिये भी लोग अपनी इच्छा से दूरदराज आ- जा रहे हैं। यूरोप- अमरीका से यहाँ आते कुछ ऐसे ही लोगों से मुलाकातें हमारा सौभाग्य है। यूरोप से भारत आये एक मित्र ने दमन- तन्त्रों के संग- संग शोषण- तन्त्रों के आज एक स्तम्भ बने इन्टरनेट से ***दुबई- दोहा-ओमान-कतर-कुवैत-इराक और बंगलादेश*** *में हो रही मजदूरों की शोषण- विरोधी हलचलों की कुछ जानकारी प्राप्त कर हमें भी दी है :*

● गर्भ में तेल लिये खाड़ी क्षेत्र में इराक के बाद ईरान अब सरकारों के बीच युद्ध का क्षेत्र बन सकता है परन्तु अधिक महत्वपूर्ण हैं सम्पूर्ण खाडी क्षेत्र में दमन- शोषण के खिलाफ उठते मजदूरों के कदम।

दस्तकारी- किसानी की सामाजिक मौत/ हत्या और ऑटोमेशन- इलेक्ट्रोनिक्स द्वारा भारी सँख्या में फालतू बनाये जाते मजदूर....... ऐसे हालात की रचना हुई है, हो रही है कि विशाल आबादियाँ इधर से उधर धकेली- खदेड़ी जा रही हैं। भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, श्री लंका, थाईलैण्ड, फिलिपीन्स, चीन, मिश्र, सुडान, सियारा लिओन, फिजी, फिलिस्तीन, जोर्डन, तुर्की, यूरोप, अमरीका से लोग सउदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात में तेल उत्पादन- शोधन- निर्यात क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, होटल- कोठी- बाजार आदि क्षेत्रों में काम करने पहुँचे हैं।

प्रत्येक स्थान पर और हर क्षेत्र में मजदूरों द्वारा शोषण का लगातार विरोध करना, दमन- तन्त्र का मुकाबला करना स्वाभाविक हैं। मजदूरों के सतत खदबदाते असन्तोष से कंम्पनियाँ नित्य निपटती हैं पर असन्तोष का विस्फोट जब खबर बन जाता है तब अक्सर अनजान- अनभिज्ञ होने का ढोंग करती हैं।

बुर्ज दुबई विश्व की सबसे ऊँची इमारत होगी जैसी बातों को साहबों की गपशप के लिये छोड़िये और खाड़ी में निर्माण क्षेत्र के मजदूरों की हलचल की एक झलक देखिये :

✱ 28.5.06 को डाउन टाउन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी में काम करते 1000 मजदूरों ने पीने के लिये साफ पानी, चिकित्सा का प्रबन्ध, उचित निवास के लिये और इस- उस बहाने वेतन में कटौती, लेबर कैम्प की एकमात्र स्टोर द्वारा दुगनी- तिगुनी कीमत पर बासी व सड़ी भोजन सामग्री देने के खिलाफ काम बन्द किया। कम्पनी मुलायम- मुलायम बनी। इन 1000 मजदूरों का जन्म व पालन पाकिस्तान और भारत में हुआ था। ✱छह महीनों की तनखायें बकाया हो गई तब 29.8.05 को कतर में 600 निर्माण मजदूरों ने वेतन और उचित निवास के लिये काम बन्द कर दिया। वापस भेज दिये जाने की धमकी के बावजूद मजदूरों ने काम शुरू नहीं किया। सप्ताह- भर काम बन्द रहने पर कम्पनी झुकी। इन 600 मजदूरों का जन्म व पालन भारत, पाकिस्तान, श्री लंका, मिश्र, नेपाल में हुआ था। ✱ दोहा में चीन से आये- लाये गये 237 निर्माण मजदूरों ने 9.8.05 को वेतन नहीं दिये जाने और कम तनखा लगाने के खिलाफ काम बन्द किया। ✱19 सितम्बर 05 को 1000 मजदूरों के प्रदर्शन से दुबई शहर का मुख्य मार्ग तीन घण्टे बन्द रहा। चार महीनों की तनखायें बकाया हो जाने, निवास की बुरी स्थिति और दुर्व्यवहार के खिलाफ दो निर्माण स्थलों से मजदूर कम्पनी कार्यालय पहुँचे और वहाँ से चार किलोमीटर दूर दुबई के लिये चले — रास्ते में एक किलोमीटर लम्बी गाड़ियों की लाइन लग गई। सरकार ने मजदूरों की माँगें मानी। इन मजदूरों का जन्म व पालन पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बंगलादेश, फिलिपीन्स, मिश्र में हुआ था। ✱ वेतन विवाद के चलते कुवैत में 23.5.05 को फिजी से आये- लाये गये 200 ड्राइवरों ने काम बन्द कर दिया। ✱इराक में अमरीका सरकार की सेना की 43 छावनियाँ हैं। कम तनखा के विरोध में 26.5.05 को एक छावनी में काम करते फिलिपीन्स से आये- लाये गये 300 मजदूरों ने काम बन्द कर दिया। भारत, श्री लंका, नेपाल से आये- लाये गये 500 मजदूर भी काम- बन्द में शामिल हो गये। ✱ बेल्जियम में मुख्यालय वाली बेसिक्स कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के दस हजार मजदूरों ने 16 मई 06 को वेतन वृद्धि, भोजन भत्ते और वार्षिक छुट्टियों के लिये दुबई में काम बन्द कर दिया। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने काम पर लौटने की अन्तिम तारीख 19 मई घोषित की — मजदूर 20 मई को भी काम बन्द किये हुये थे। कम्पनी ने चन्द गुण्डों को जिम्मेदार बता कर बातचीत के लिये दो प्रतिनिधि माँगे पर मजदूरों ने कोई प्रतिनिधि नहीं भेजे, श्रम मन्त्री की मजदूरों पर मुकदमे की धमकी और भारत सरकार का दूतावास बिचौलिये की भूमिका में।

शातिर इन्टरनेशनल लेबर ओरगनाइजेशन (आई एल ओ) की सलाह पर बिचौलियों के जरिये मजदूरों को नाथने के वास्ते सउदी अरब सरकार मजदूर समितियों को वैध करेगी, कतर सरकार ने ट्रेड यूनियनों को वैध कर दिया है और ओमान सरकार ट्रेड यूनियनों को वैध करेगी।

नई समाज रचना के लिये, मानवीय समाज के निर्माण के वास्ते शुभ समाचार है खदेड़े- धकेले जाते मजदूरों द्वारा भाषा की दिक्कतों और घुट्टी के संग पिलाये जाते पूर्वाग्रहों को पार कर आपस में तालमेल बैठाना, मिल कर कदम उठाना।

✱✱✱ बंगलादेश में सिले- सिलाये वस्त्रों के निर्यात के लिये 4200 फैक्ट्रियाँ हैं जिनमें बीस लाख स्त्री व पुरुष मजदूर काम करते हैं। राजधानी ढाका के निकट गाजीपुर में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में मैनेजमेन्ट ने क्यू एस ग्रुप की एफ एस स्वैटर फैक्ट्री 16 मई 06 को बन्द कर दी और मजदूरों को 20 मई को हिसाब ले जाने को कहा। मजदूरों को 20 मई को फैक्ट्री गेट पर गुण्डे मिले जिन्होंने मजदूरों की पिटाई की। इस पर आसपास की कई फैक्ट्रियों के मजदूर बाहर निकल आये। मजदूरों को दबाने के लिये पुलिस ने गोलियाँ चलाई — एक मजदूर की मृत्यु हो गई और दर्जनों घायल हुये। मजदूरों का विरोध बढा। टकराव बढे। बाइस मई को एक लाख मजदूर सड़कों पर थे। चार दिन तक ढाका और उसके 50 मील के दायरे में फैक्ट्रियाँ ठप्प रही। इस दौरान 14 फैक्ट्रियाँ जला दी गई और 70 अन्य फैक्ट्रियों में भारी तोड़- फोड़ हुई। तीन मजदूर मारे गये, 150 घायल हुये और 100 गिरफ्तार किये गये। बिचौलियों के जरिये सरकार ने मामला ठण्डा करने की कोशिश की, 12 जून को हड़ताल की बात....

3 जून को बंगलादेश सरकार के दो मन्त्री औद्योगिक क्षेत्र में गये। मजदूरों ने मन्त्रियों को घेर लिया। पुलिस से टकराव—फैक्ट्रियों में उत्पादन बन्द। कम्पनियों की एसोसियेशन द्वारा 4 जून से तालाबन्दी की घोषणा......

दिल्ली से -

सोना फैशन मजदूर : " प्लॉट एफ- 63 ओखला फेज- 1 स्थित फैक्ट्री में सुबह 9 से रात 12 बजे तक की एक शिफ्ट है — धागा काटने का कार्य करती 20 महिला मजदूरों को रात 9 बजे छोड़ देते हैं। रोज 15 घण्टे और महीने के तीसों दिन काम से हालत खराब है। आठ घण्टे के किसी कारीगर को 110 और किसी को 115 रुपये देते हैं — 13 रुपये 75 पैसे अथवा 14 रुपये 25 पैसे प्रति घण्टा के हिसाब से। भोजन और चाय का एक घण्टा काट लेते हैं, प्रतिदिन के 14 घण्टों के पैसे देते हैं। धागा काटने वाली महिलाओं और अन्य हैल्परों को 8 घण्टे के 26 दिन के 1800 रुपये देते हैं और इसी तनखा के हिसाब से ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। कम्पनी 15 घण्टे काम के दौरान चाय नहीं देती पर 20 रुपये भोजन के लिये देती है। फैक्ट्री में वाटरकूलर खराब पड़ा है, पीने का पानी ठीक नहीं है। अस्सी मशीनों के लिये दो कूलर हैं — हवा 8 मशीनों तक ही पहुँचती है और बाकी 72 सिलाई कारीगर काम के दौरान पसीने से तर रहते हैं।"

एल एम सागर एक्सपोर्ट मजदूर : "ओखला फेज- 1 में बी- 48, बी- 237, बी- 242, डी- 116 स्थित फैक्ट्रियों में निर्यात के **(बाकी पेज तीन पर)**

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। **RN 42233** पोस्टल रजिस्ट्रेशन **L/HR/FBD/73**
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी—546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।